संख्या-315/2015/3630/नौ-5-15-143बजट/2015

प्रेषक,

रंग बहादुर सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधिशासी अधिकारी,
नगर पंचायत, कोटरा (जालौन), गवां (सम्भल) तथा हरगांव (सीतापुर)।

नगर विकास अनुभाग-5 लखनऊ : दिनांक 28 सितम्बर, 2015

विषय:-वित्तीय वर्ष 2015-16 में नगरीय जल निकासी के अन्तर्गत जल निकासी के कार्यो हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा प्रथम किश्त की धनराशि अवमुक्त किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **'नगरीय जल निकासी योजना'** के अन्तर्गत संलग्न सूची में उल्लिखित कार्यो के अनुसार प्रदेश की 03 नागर स्थानीय निकायों में जल निकासी हेतु नालों के निर्माण के लिये वित्तीय वर्ष 2015-16 में कुल **₹ 113.65 लाख (₹ एक करोड़ तेरह लाख पैंसठ हजार मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए उसके सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में **₹ 56.75 लाख (₹ छप्पन लाख पछहत्तर हजार मात्र)** की धनराशि अवमुक्त किये जाने पर श्री राज्यपाल निम्नलिखित विवरण, शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(धनराशि लाख ₹ में)

क्रं0	जिले का नाम	नागर निकाय का नाम	आगणन में प्रस्तावित धनराशि	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि
1.	जालौन	नगर पंचायत, कोटरा	31.81	30.00	15.00
2.	सम्भल	नगर पंचायत, गवां	53.65	53.65	26.75
3.	सीतापुर	नगर पंचायत, हरगांव	33.93	30.00	15.00
		योग		113.65	56.75

(₹ छप्पन लाख पछहत्तर हजार मात्र)

(1) स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु निकाय द्वारा प्रस्तुत बिल सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी/सक्षम अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा, जिसे सम्बन्धित जनपद के मुख्य कोषाधिकारी/ कोषाधिकारी द्वारा निकाय के खाते में सीधे जमा किया जायेगा। यह कार्यवाही शीर्ष प्राथमिकता पर सम्पादित की जायेगी तथा निकाय द्वारा बीजक प्रस्तुत किये जाने की तिथि से तीन दिवस के अन्दर धनराशि निकाय के खाते में अन्तरित कर दी जायेगी।

(2) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। किसी भी दशा में धनराशि का व्यवर्तन अन्य किसी कार्य में नहीं किया जायेगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।

(3) आहरित धनराशि किसी अन्य बैंक/डाकघर/पी.एल.ए. /डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

(4) नगर विकास विभाग के अन्तर्गत ड्रेनेज से सम्बन्धित कराए जाने वाले कार्यो के संबंध में निर्गत शासनादेश संख्या-3788/नौ-5-2012-111बजट/2010, दिनांक 09.10.2012 की व्यवस्थानुसार नगर पालिका परिषदों द्वारा 25.00 लाख तक तथा नगर पंचायतों द्वारा रू0 5.00 लाख तक के डेनेज संबंधी कार्य कराये जा सकेंगे। क्रमशः इससे अधिक के ड्रेनेज संबंधित कार्य सीएण्डडीएस, उ0प्र0 जल निगम द्वारा कराये जायेंगे।

(5) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त की जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(6) कार्य की विशिष्टयों, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी संबंधित नागर निकायों/कार्यदायी संस्था/ जिलाधिकारी की होगी तथा कार्य निर्धारित समय-सीमा अवधि में ही पूर्ण की जायेगी।

(7) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुसार किया जायेगा।

(8) प्रस्तावित कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं/कार्यक्रमों में पुनरावृत्ति नहीं की जायेगी। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है।

(9) कार्यस्थल पर राज्य स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा नियत 'डिस्पले बोर्ड' पर कार्य का पूर्ण विवरण, कार्यदायी संस्था, कार्य प्रारम्भ होने, कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि आदि का उल्लेख किया जायेगा।

(10) स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र कार्यालय महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद एवं निदेशक, स्थानीय निकाय/शासन को <u>दिनांक 31 मार्च, 2016</u> तक संबधित निकाय/कार्यदायी संस्था द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

(11) वित्तीय मामलों में संबंधित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/ लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तो में किसी प्रकार का विचलन हो तो संबंधित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामलें की सूचना पूर्ण विवरण सहित तुरन्त प्रशासकीय तथा वित्त विभाग को दी जायेगी।

2- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत आयोजनागत लेखाशीर्षक ***"2215-जलापूर्ति तथा सफाई-02-मलजल तथा सफाई-193-नगर पंचायतों/अधिसूचित क्षेत्र या उनके समतुल्य निकायों को सहायता-04-उ0प्र0 व्यापार विकास निधि से व्यय-0402-नगरीय जल निकासी कार्य-35-पूंजीगत परिसम्पित्तयों के सृजन हेतु अनुदान"*** के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30 मार्च, 2015 द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

<u>संलग्नक : यथोक्त।</u>

भवदीय,

(रंग बहादुर सिंह)
उप सचिव।

<u>संख्या-315/2015/3630(1)/नौ-5-15-143बजट/2015, तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2- संबंधित मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश ।
3- संबधित जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
4- संबंधित कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
5- निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, इन्दिरा भवन, उ0प्र0 लखनऊ।
6- निदेशक, सीएण्डडीएस, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
7- अध्यक्ष, सम्बन्धित नगर पंचायत, उत्तर प्रदेश।
8- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
9- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
10- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
11- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल को वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,

(रंग बहादुर सिंह)
उप सचिव।

शासनादेश संख्या-35/2015/3630(1)/नौ-5-15-143बजट/2015 दिनांक 28 सितम्बर, 2015 का संलग्नक।

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र0	जनपद का नाम	निकाय का नाम	प्रस्तावित कार्य	आगणन में प्रस्तावित धनराशि	प्रस्तावित धनराशि के सापेक्ष प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
1	जालौन	नगर पंचायत, कोटरा	1. वार्ड नं0-1 गांधीनगर में बाईपास पुलिया से मण्डी की पुलिया तक नाला निर्माण कार्य।	4.43		
			2. वार्ड नं0-1 गांधीनगर में मण्डी की पुलिया से शंकर जी तक नाला निर्माण कार्य।	4.43		
			3. वार्ड नं0-1 गांधीनगर में शंकर जी से स्कूल की पुलिया की ओर नाला निर्माण कार्य।	4.43		
			4. वार्ड नं0-1 गांधीनगर में स्कूल की पुलिया से नाले की ओर नाला निर्माण कार्य।	4.43		
			5. वार्ड नं0-8 गांधीनगर में सत्तार के मकान के पास से पुलिया की ओर नाला निर्माण कार्य।	4.43		
			6. वार्ड नं0-1 गांधीनगर में किशोरी के मकान से तालाब की ओर नाला निर्माण कार्य (प्रथम भाग)।	4.83		
			7. वार्ड नं0-1 गांधीनगर में किशोरी के मकान से तालाब की ओर नाला निर्माण कार्य (द्वितीय भाग)।	4.83		
			योग	31.81	30.00	15.00
2	सम्भल	नगर पंचायत, गवां	1. गवां चौराहे से सम्भल चौराहे तक अवशेष भाग-4 नाला निर्माण कार्य। लम्बाई 105 मी0	4.99		
			2. गवां चौराहे से सम्भल चौराहे तक नाला निर्माण कार्य। लम्बाई 105 मी0	4.97		
			3. गवां चौराहे से सम्भल चौराहे तक अवशेष भाग-2 नाला निर्माण कार्य। लम्बाई 105 मी0	4.99		
			4. गवां पुलिस चौकी से महावा नदी की ओर अवशेष भाग-5 तक नाला निर्माण कार्य। लम्बाई 105 मी0	3.85		
			5. गवां चौराहे से संभल चौराहे तक अवशेष भाग-3 नाला निर्माण कार्य। लम्बाई 105 मी0	4.98		
			6. गवां पुलिस चौकी से महावा नदी की ओर अवशेष भाग-4 तक नाला निर्माण कार्य। लम्बाई 105 मी0	4.97		
			7. गवां पुलिस चौकी से महावा नदी की ओर अवशेष भाग-3 तक नाला निर्माण कार्य। लम्बाई 105 मी0	4.99		
			8. गवां पुलिस चौकी से महावा नदी की ओर तक नाला निर्माण कार्य। लम्बाई 106 मी0	4.98		
			9. गवां पुलिस चौकी से महावा नदी की ओर अवशेष भाग-2 तक नाला निर्माण कार्य। लम्बाई 105 मी0	4.94		
			10. गवां चौराहे से संभल चौराहे तक अवशेष भाग-8 तक नाला निर्माण कार्य। लम्बाई 105 मी0	5.00		
			11. गवां चौराहे से सैभल चौराहे तक अवशेष भाग-6 तक नाला निर्माण कार्य। लम्बाई 105 मी0	4.99		
			12. गवां चौराहे से संभल चौराहे तक अवशेष भाग-5 तक नाला निर्माण कार्य। लम्बाई 105 मी0	4.99		
			योग	53.65	53.65	26.75
3	सीतापुर	नगर पंचायत, हरगांव	1. मो0 हरगाँव गंज में वरूण मेडिकल स्टोर से सरजू प्रसाद के मकान तक 80 प्रतिशत कवर्ड नाला निर्माण कार्य।	4.76		
			2. मो0 हरगाँव गंज में स्टेशन रोड से तीरथ सिंह के मकान तक 80 प्रतिशत कवर्ड नाला निर्माण कार्य।	4.84		
			3. मो0 मुरादनगर में स्व0 राजेन्द्र अवस्थी के मकान से डा0 रामनरेश मिश्र के मकान तक 80 प्रतिशत कवर्ड नाला निर्माण कार्य।	4.84		
			4. मो0 मुरादनगर में पुलिया से फौजी ढाबा तक कवर्ड नाला निर्माण कार्य।	4.93		
			5. मो0 काजीटोला में शिवराज मौर्या के मकान से सी0सी0रोड तक नाला निर्माण कार्य।	4.73		
			6. मो0 तीर्थ में लाल पाण्डेय आदि से कृष्ण कुमार के खेत की पुलिया तक नाला निर्माण कार्य।	4.85		
			7. मो0 तीर्थ में छंगा चूड़ी वाले से हनुमान मन्दिर तक नाला निर्माण कार्य।	4.98		
			योग	33.93	30.00	15.00
			महायोग(1+3)		113.65	56.75

(रू0 छप्पन लाख पचहत्तर हजार मात्र)

(रंग बहादुर सिंह)
उप सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2015-2016

आवंटन दिनांक-28/09/2015

प्रेषण संख्या:- 315

आवंटन आदेश संख्या:- 001-315-2015-3630-9-5-15-143B-2015

अनुदान संख्या:- 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2015-2016 का आवंटन)

लेखाशीर्षक:- 2215 - जल पूर्ति तथा सफाई(आयोजनागत-मतदेय)
02 - मल-जल तथा सफाई
193 - नगर पंचायतों / अधिसूचित क्षेत्र समितियों या उनके समतुल्य
04 - उत्तर प्रदेश व्यापार विकास निधि से व्यय
02 - नगरीय जल निकासी कार्य

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	योग
1	जालौन-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	1500000 1500000	1500000 1500000
2	सीतापुर-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	1500000 1500000	1500000 1500000
3	सम्बल-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	2675000 2675000	2675000 2675000
	योग	वर्तमान प्रगामी	5675000 5675000	5675000 5675000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया छप्पन लाख पचहत्तर हजार

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया छप्पन लाख पचहत्तर हजार

(उमा शंकर सिंह)
विशेष कार्याधिकारी